

9/2/2026

सेवा

मै श्रीमान जिला अधिकारी साहिब

निवेदन इस प्रकार है कि मै एक गरीब सीटीजन व गरीब माहिला हुं जब हमने घर लिया था तभी जल निगम के दो कर्मचारी आये और मुझ से कहा गया कि आप 5000 रु देकर पानी का कनेक्शन करवा दीजिये क्योंकि हमने अपनी टंक से पानी जाता है मैने कुछ साल पहले उन्हें पैसे दे दिये व उन्होंने कहा कि हम आपको रसीद दे देंगे अभी तक मुझे न कोई रसीद दी और न ही वह लोग आये मैने जल निगम के बहुत धक्कर लगाये पर वह कर्मचारी मुझे नहीं मिले आज मेरा पानी का बिल इतना बड़ा दिया मै बहुत परेशान हुं मेरा पहले ही आपदा में बहुत दुखसाग हुआ मुझे कोई मदद नहीं मिली अब साहिब मै बहुत ज्यादा बीमार हुं मै शुगर-हाटि कि पैशेंट हुं मै घर पर अकेली रहती हुं मेरा करने वाला कोई भी नहीं इसीलिए आप से प्रार्थना करती हुं कि मेरा पानी का बिल माफ कर दे व कनेक्शन काल कर मुझे उसकी रसीद दिलवाने कि कृपा करे मेरे पास दवाईया के लिये भी पैसे नहीं है मेरे पास अपना मारवा पैपल की लिये भी असमर्थ हुं इसीलिये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा पानी का बिल माफ करके कि कृपा करे मै आपकी एक आकांछी रहूंगी मेरा कोई इन्कम का साधन नहीं है घरपर मै अकेली हुं मै राजा राम विहार कि निवासी हुं

श्रीमती - हरवीप कौर
पत्नी - स्व. दारापाल सिंह
फोन नं - 6397199228
राजा राम विहार सहल घाटा राई

आदो आर्क (3NT)
अधीनकारी सेवारी विभाग
अमे 645 मव
जिला अधिकारी
विस्थापित न
किसे नाम है
सादर कलथा गया है।
09.02.2026

(27 Months)

671 / Pending

10,000/-/month

100% waived off in

Rate Fee

नोटिस/बिल भुगतान

1. पानी के बिलों का भुगतान समय से कां 'अर्थात्' का लाभ उठावें।
2. यदि इंगित तिथि का भुगतान नहीं है तो अगला कार्य दिवस देय तिथि मानी जायेगी।
3. अतिरिक्त भुगतान स्वीकार नहीं होगा।
4. जल संयोजन विभाग द्वारा लिखा गया नोट प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा कर दिया जायेगा।

5. मीटर युक्त संयोजनो के वास्तविक रीडिंग के पश्चात अतिरिक्त जल मूल्य अलग
6. बन्द/क्षतिग्रस्त मीटर का दुरुस्ती में मीटर सहित जल मूल्य तथा औसत से जो भी अ
7. जल का समान रूप से भुगतान न होने पर उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था जायेगी।

8. सर्विस पाइप लाइन एवं मुख्य पाइप लाइन पर टुल्लू पम्प का उपयोग अवैधानिक
9. नौ माह तक देयक न पाया होने की दशा में उपभोक्ता सम्बन्धित कार्यालय से स
10. जल ही जीवन है इसका उपयोग न करें।
11. नियम 64 के अनुसार जो भवन किराये पर है उनमें निजी जल संयो का दायित्व भी किरायेदार पर है तथा जल मूल्य परिव्यय सीवर शुल्क आदि किस भवन का जल संयोग काटा जा सकता है।

12. मीटर की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदाययित्व उपभोक्ता पर है। मीटर चोरी होने की दशा
13. विच्छेदन के पश्चात भुगतान करने पर विच्छेदन एवं पुनर्संयोजन शुल्क अति
14. 500/- रुपये से कम का भुगतान चैक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. बिल भुगतान का समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे

16. चैक/ड्राफ्ट उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में स्वीकार किये जायेंगे।
17. चैक द्वारा भुगतान देय तिथि से 05 दिन पूर्व करना अनिवार्य है।
18. एक बार डिफाल्टर होने की दशा में उपभोक्ता से चैक द्वारा भुगतान नहीं लिया जा
19. क्लियरिंग हाऊस पंजीकृत बैंको के स्थानीय चैक ही मान्य होंगे।
20. उपभोक्ता की पाइप लाइन में लीकेज होने की दशा में जल संयोजन विच्छेदित किया जा



उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन मॉडल

जल संचय जीवन संचय

IT Park Dehradun



प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड जल संस्थान जल संधारण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुसूचक एवं संचालन आदेश, 2002 की धारा-72 के तहत को नगरपालिका विल में दर्ज की गयी विच्छेदन प्रणाली उसके रखरखाव तथा निम्नी अतिरिक्त मुक्तता प्रदान करने के लिए विच्छेदन किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केंद्र दाल फोन 1800 480 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट

<https://uj.s.uk.gov.in>

बिल संख्या 2026/01/0406869

उपभोक्ता संख्या NO17IP101D26A010406869

मांग संख्या 3025901/MD2460

नाम श्रीमती हरदीप कौर / स्व० श्री होशियार सिंह

पता

राजा राम विहार / डाण्डा नूरीवाला

योजना का नाम

संयोजन की श्रेणी Low Head/DOM/15

विनयन तिथि

02-03-2026

विल की अवधि

मे

तक

माह

01 / 2026

03 / 2026

3

विल करने की

अंतिम तिथि

31-03-2026

विच्छेदन तिथि

06-04-2026

बिलिंग का प्रकार
Avg.

वार्षिक मूल्यांकन दर
प्रतिमाह

टॉन्टी की संख्या/
दर प्रतिमाह

सीवर संयोजन/शीट
संख्या दर प्रतिमाह

वर्तमान रीडिंग

पिछली रीडिंग

उपयुक्त जल
(कुल रीडिंग)/
प्रतिमाह

अग्रिम

22000

विवरण

वर्तमान मांग

मीटर किराया

बकाया

पूर्ण योग

छूट/अग्रिम

विलम्ब शुल्क

शुद्ध राशि

जल मूल्य

1,164.00

23,460.00

24,624.00

सीवर सीट

डिस्आनर्ड चैक शुल्क

अन्य देय

23,460.00

24,624.00

55.00 /

10,991.00

35,560.00

23,460.00

24,624.00

55.00 /

10,991.00

35,560.00

नोट: न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली० अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत को उपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अर्वाधि के लिए 5% मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई० डी० बी० आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधिशाली अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

उत्तराखण्ड जल संस्थान,
मुख्य रोड, देहरादून
महत्वपूर्ण नोटिस

सेवा में,

मैसर्स/श्री/श्रीमती
हरदीप कौर
दोशियार सिंह
राजा राम बिहार

(यदि आप का भुगतान जमा
है तो कृपया लिप में रसीद
दिखाकर इस नोटिस को
निरस्त करायें)

विषय : अवशेष धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार देय धनराशि का भुगतान दिनांक 20 फरवरी को 1:30 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में संस्थान कोष में जमा करा दें अन्यथा उक्त अवधि के समाप्त होने पर जल संयोजन पृथक कर दिया जायेगा एवं उत्तराखण्ड जल सम्परण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 72/1 के अन्तर्गत राशि की वसूली आपसे राज्य सरकार के माध्यम से भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली की जायेगी। इसके लिए आपके उक्त राशि का 10% अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा एवं कुर्की वारन्ट की कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप यह अवशेष धनराशि निर्धारित दिनांक तक अवश्य जमा करा दें।

भवन सं०

मौहल्ला

जलमूल्य 35,560.00

कोड नम्बर ध्वांग सं० 0406869

स्टैंड पोस्ट चार्ज

सीवर सीट चार्ज

अन्य

कुल योग 35,560.00

भवदीय

१४

अधिशाली अभियन्ता (दक्षिण)

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।